प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा में रखने के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संपादित सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज) की व्यय लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** सरकार के राजस्व क्षेत्र विभाग की राजस्व प्राप्ति की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संपादित की जाती है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-III*** सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है। सरकारी कम्पनियों के खातों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत और सांविधिक नियमो की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत सी ए जी के द्वारा संपादित की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (A) के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2012-13 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।